परिवार कल्याण केन्द्र				
ग्रामीण	5435	7027	232	311
नगरीय	1592		79	
औषध लय				
ग्रामीण	13658	29193	782	1207
नगरीय	15535		425	

दिल्ली में एस्कोर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर

1579. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एस्कोर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर नामक एक संस्थान की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका स्वामित्व और प्रबंध किसके हाथ में है ;

(ग) क्या इस संस्था से आम जनता लाभान्वित होती है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्डधारी भी इस संस्थान से लाभ उठा सकते हैं ;

(च) यदि हां, तो किस प्रकार; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) जी, हां ।

(ख) यह संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है । संस्थान के कार्यों का संचालन सोसाइटी के बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) से (छ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्डधारक इस संस्थान से सुविधा प्राप्त कर नहीं कर सकते क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत संस्थान नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

1580. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रारम्भ में आम जनता के लिए शुरू की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का मूल उद्देश्य क्या था ;

(ग) क्या यह सच है कि यह योजना अब आम जनता के लिए बिलकुल बन्द कर दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ङ) क्या यह सच है कि सांसदों की सिफारिश पर ही केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के

अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाएं कुछ और गिने चुने लोगों को ही उपलब्ध कराई जाती हैं ;

(च) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे कितने व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है ; और

(छ) इस संबंध में इस योजना के नियम क्या हैं और इन समस्त नियमों का पूरा ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मुख्य रूप से केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है और यह दिल्ली में पहली जुलाई, 1954 को शुरू की गई थी। इसके दो उद्देश्य थे अर्थात् :

(i) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को व्यापक चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना, और

(ii) चिकित्सीय खर्च के भुगतान की जटिल और महंगी पद्धति को समाप्त करना ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) इस समय आम जनता के 1842 सदस्य केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

(छ) आम जनता को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्रदान करने की योजना केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के उन सदस्यों के लिए है जो उन पर आश्रित होते हुए और साथ रहते हुए भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं का लाभ उठाने के प्रयोजन के लिए परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं हैं । संबंधित व्यक्ति को उक्त क्षेत्र का वास्तविक निवासी भी होना चाहिए । दिशा-निर्देशों का एक प्रति संलग्न है [देखिये परिशिष्ट 151, अनुबंध सं. 106]

Admissions to B. Se. (Nursing) Course in Rajkumari Amrit Kaur Nursing Mahavidyalaya, New Delhi

1581. SHRI T.R. BALU:
SHRI V. GOPALSAMY;

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of students who had applied for admission to the B.Sc. (Nursing) Course at Rajkumari Amrit Kaur Nursing Mahavidyalaya, New Delhi during the *last* three years^ year-wise;

(b) the number of them who were first class holders, year-wise;

(c) the number of students who were admitted to the B. Se. (Nursing) Course during the last three years, year-wise;

(d) the number of them who were first class holders; jjjj

(e) the number of the first class kolders among the rejected candidates; and

(f) whether Government propose to increase the number of seats in the college in view of the increase in the number of candidates?

THE MINISTER OF STAT$_E$ OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAFIQUE ALAM): (a) and (b). 271, 326 and 450 applications were received during the year 1987-88, 1988-89 and 1989-90 respectively for admission to B. Se, (Nursing) Course at RAK College of Nursing, New Delhi out of which 82, 87 and 112 were first class holders.

(c) 45 students were admitted in each year.

(d) and (e) On the basis of marks obtained in the Entrance Test, 31, 32 and 37 first class holders were given admission during the year 1987-88, 1988-89 and 1989-90 respectively 51, 55 and 75 of the total first class holders did not qualify.